उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः–43220–25/वसूली/2016–17 दिनांकः 10-3-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 43204–09/वसूली/16–17 दिनांक 04.03.17 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शाखा के ऐसे कृषकों की सूची जिनके ऋण खाते में दिनांक 28.02.17 तक वसूली शून्य रही हों, से सम्बन्धित वांछित विवरण संलग्न प्रारूप पर दिनांक 15.03.17 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

उक्त प्रकरण में कतिपय स्तरों से यह जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि क्या उक्त सूची में ऐसे ऋणी सदस्यों को भी शामिल किया जाना है जिनकी मात्र कुछ किश्तें ही बकाया हुई हैं और उनमें कोई धनराशि जमा नहीं हुई है ?

प्रश्नगत प्रकरण में यह स्पष्ट करना है कि उक्त पत्रांक 43204–09/वसूली/16–17 दिनांक 04.03.17 के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गए प्रारूप में मात्र उन्हीं ऋणी सदस्यों से सम्बन्धित सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जानी है जिनकी समस्त किश्तें मांग लगाए जाने के पश्चात् बकाया हो चुकी हों और उनमें दिनांक 28.02.17 तक किसी भी प्रकार से धनराशि जमा न हुई हो।

(ए0के0 शुक्ला)
महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सम्बन्धित मण्डलीय शाखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्तानुसार वांछित निर्धारित प्रारूप पर अपने मण्डल की शाखाओं से प्राप्त करते हुए, संकलित कराते हुए वसूली अनुभाग की ई0मेल0आई0डी0 **upsgvbrec.@gmail.com** पर दिनॉक 20.03.2017 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2–समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वसूली अनुभाग के पत्रॉक 43204–09/वसूली/16–17 दिनांक 04.03.16 द्वारा दिये गये निर्देशों की अपेक्षानुसार किये गये संशोधन के अनुसार अपने आवंटित जनपद/मण्डल के कार्यक्षेत्र की शाखाओं की उक्त वांछित सूचना दिनांक **20.03.2017** तक वसूली अनुभाग को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करायें। साथ ही साथ उक्त बकायेदारों के विरूद्ध वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3–उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को शाखाओं को ई–मेल करने हेतु।

4–मुख्य महाप्रबन्धक (प्रशासन), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5–प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

Bank information पर Sending Mail ~~...~~ के अला Rec. Send to branch के अला ZERO statement 10-3-17 के Name से file है।

महाप्रबन्धक 10.3.17